

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21-ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

176-नाथद्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि :-

श्री सी.पी. जोशी,

मकान नम्बर 42, बागरवाड़ा,नाथद्वारा

तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

पिनकोड - 313301

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है ।

स्थान :बालकृष्ण विद्याभवन रा.उ.मा.वि. काकंरोली (राजसमन्द)

दिनांक : 11/12/2018

(निशा)

रिटर्निंग ऑफिसर

176- नाथद्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा

Conduct of election Rules.1961
(Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

(See. rule 64)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the
People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From **176- Nathdwara**
Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation
of the People act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules,1961, I
declare that :-

Shri C. P. JOSHI

HOUSE NO. 42 BAGARWADA, NATHDWARA

TEHSIL NATHDWARA,

DISTRICT - RAJSAMAND PIN 313301 (Address)

Sponsored by **INDIAN NATIONAL CONGRESS**

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill
the seat in that house from the above constituency

Place : Shri Balkrishna Vidhyabhavan Govt. Adarsh Sr. Sec.School, Kankroli (Rajsamand)

Date : 11/12/2018

(Nisha)

Returning Officer

176-Nathdwara Assembly Constituency

Subdivisional Magistrate & Sub divisional Officer Nathdwara